AP10

Shri Rajiv das

26/8/19

आर.टी.आई. मामला
स्पीड पोस्ट द्वारा

-207-

संख्या. **J-12/2/2019**–एस.ई.जेड.
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(एस.ई.जेड अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110107
दिनांकः 21 अगस्त, 2019

सेवामें,

मोहम्मद शाहीद,
निवासी– ग्राम समाचक, पोस्ट हरौली,
जिला वैशाली, पिन–844103
बिहार

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र
नं. 25
दि. 26/8/19
गांधीधाम - कच्छ

AP10 (RTI)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.07.2019 को दायर आर.टी.आई. आवेदन पत्र में *'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबन्ध में जानकारी बाबत्'* ।

महोदय,

कृप्या आप अपने द्वारा जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, को प्रषित दिनांक 07.07.2019 के आर.टी.आई आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो सेज (SEZ) आनुभाग में आरटीआई सैल/ वाणिज्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–आर–18(1)/2019– आरटीआई/726–729 दिनांक 09.08.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय पर एस.ई.जेड. अनुभाग के संबन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं की जानकारी नीचे दी गई हैः–

क्रम संख्या	मांगी गई सूचनाऐं	सूचनाओं की आपूर्ति
1(क)	इस मंत्रालय के अधीन कुल कितने विभाग, आयोग, उपक्रम, समितियां एवं कार्यालय आते है और वे क्या–क्या काम करते है और उनकी कोई योजनाएं हैं या नहीं यदि हैं तो क्या हैं?	एसईजेड डिवीजन के अधीन सात विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आते हैं। जिनकी जानकारी एस.ई.जेड. (SEZ) की बेवसाइट *www.sezindia.nic.in* *पर उपलब्ध है। जिसका लिंक इस प्रकार है– (मुख्य पृष्ठ —› भारत में सेज) इसके अतिरिक्त अनुमोदन बोर्ड (BoA) है। जिसका गठन एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत किया जाता है।*
(ख)	सभी प्रभागों, विभागों एवं कार्यालयों में स्वागत कक्ष है। उसमें दिल्ली आफीशियल डायरेक्टरी है। जिसमें पदाधिकारिओं/मंत्रियों के नाम, पता एवं टेलीफोन नम्बर है। उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जाए।	मांगी गई जानकारी सेज अनुभाग से संबन्धित नहीं है।

OFFICE OF D.C. KASEZ

26/8 DDC

पेज जारी............/

E-289327

-205-

<u>आरटीआई आवेदन</u>

सं.आर-18(1)/2019-आरटीआई /726_729

भारत सरकार

वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 9th अगस्त, 2019

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मोहम्मद शाहीद, वैशाली, का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 07.07.2019 के आरटीआई आवेदन, जो वाणिज्य विभाग में दिनांक 06.08.2019 को प्राप्त हुआ ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर, इस ज्ञापन के साथ मोहम्मद शाहीद, वैशाली का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, दिनांक 07.07.2019 का आरटीआई आवेदन, जो कि गृह मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.ए-43020/01/2019-आरटीआई, दिनांक 31.07.2019 के माध्यम से, वाणिज्य विभाग में दिनांक 06.08.2019 को प्राप्त हुआ, को भेजने का निर्देश हुआ है।

2. यह मामला वाणिज्य विभाग के सभी सीपीआईओ { ई.I, ई.II, ई.III, ई.IV, टी.ए/टी.सी, कैश-I, कैश-II और, प्रोटोकॉल, ओ एंड एम, विजिलेंस एवं आरटीआई अनुभागों के अलावा} और सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है, से संबंधित है, इसलिये उनसे अनुरोध है, कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना, आरटीआई प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, को सूचित करते हुए, सीधे, आवेदक को उपलब्ध करवाई जाए ।

3. यदि मांगी गयी सूचना संपूर्ण रूप से या उसका कोई भाग किसी अन्य सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) से संबंधित है तो आवेदन को आरटीआई अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के अनुसार सीधे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को अंतरित किया जा सकता है।

संलग्न : यथोक्त

के.वी. अजित

(के. वी. अजित)

उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ

सेवा में,

1. वाणिज्य विभाग के सभी सीपीआईओ के लिए । (सूची के अनुसार) { ई.I, ई.II, ई.III, ई.IV, टी.ए/टी.सी, कैश-I, कैश-II और, प्रोटोकॉल, ओ एंड एम, विजिलेंस एवं आरटीआई अनुभागों के अलावा}
2. सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है। (सूची के अनुसार)

13/8/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्री एस के झा, उप-सचिव एवं सीपीआईओ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 ।
2. मोहम्मद शाहिद, ग्राम - सामाचक, पोस्ट - हरौली, जिला - वैशाली, बिहार - 844103 - को इस अनुरोध के साथ कि इस मामले में आगे की जानकारी के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ से संपर्क करें ।

VS/AM (BDS)

SA (KAS)

14/8/2019

SO(RBC)

SO(SB)

AO(VKM)

श्री पाल 19/8/19.

आर टी आई मामला/तत्‍पवद्ध

सं. ए-43020/01/2019-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31/07/2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/सुश्री/कुमारी~~ मो० आरिफ के आवेदन का अंतरण।

****

इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/सुश्री/कुमारी~~ मो० आरिफ का दिनांक 07/07/2019 का आवेदन ~~मंत्रालय द्वारा~~ प्राप्त हुआ है (इस मंत्रालय में दिनांक 19/07/2019 को प्राप्त)। चूंकि अपेक्षित सूचना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय/ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबद्ध रखती है/के कार्यों से संबंधित है, अतः, आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उन लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे उन लोक प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. ~~आवेदक ने .... दिनांक .... /2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10/- रुपये का निर्धारित शुल्क .... ने अदा नहीं किया है क्योंकि वे गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित हैं।~~

अनुलग्नक : यथोपरि

FTS-2879241/
7/8/2019

(एस० के० झा)
उप सचिव (एस०) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

(i) अवर सचिव (आर.टी.आई.)
खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय
पंचशील भवन
अगस्त क्रांति भवन नई दिल्ली

(ii) अवर सचिव एवं सी.पी.आई.ओ.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

श्री/~~श्रीमती/सुश्री/कुमारी~~ मो० आरिफ
ग्राम- मामा-चक, पोस्ट- हरौली
जिला- वैशाली (बिहार)

7/8/19

223

Office of the Development Commissioner
Kandla Special Economic Zone
Ministry of Commerce & Industry
Gandhidham-Kutch-370 230
Phone (02836)-253300, 252475, 252273
Fax (02836) – 252250 & 252194
E-mail: admn.kasez-gj@gov.in
Website: www.kasez.gov.in

सत्यमेव जयते

KASEZ

फा. सं. KASEZ/ RTI/MOC/02(36)/2019-20/790-92

दिनांक: 03.09.2019
By Speed Post

सेवा में,

मोहम्मद शाहिद,
ग्राम-सामाचक, पोस्ट- हरौली,
जिला-वैशाली, बिहार-८४४१०३.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 07.07.2019 का सन्दर्भ ले, जो कि भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. आर- 18(1)/2019-आर टी आई दिनांक 09.08.2019 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित अनुभागो/शाखाओ प्राप्त वांछित सुचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सुचना निम्नलिखित है:-

क. इस कार्यालय द्वारा किया गया कार्य निम्नानुसार है।

(i) कांडला एस.ई.जेड. प्राधिकरण के खातों की पुस्तक का रखरखाव।
(ii) एजेंडा का रख रखाव-और प्राधिकरण की बैठकों का कार्यवृत्त।
(iii) कांडला एस.ई.जेड. प्राधिकरण के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना।
(iv) कांडला एस.ई.जेड. अथॉरिटी आदि के दिन-प्रतिदिन के भुगतान।

ख. यह सूचना इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है अतः शुन्य समझी जाय।

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन – 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सुचना से संतुष्ट नहीं है तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम(कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते है।

भवदीय,

अरुण 3.9.19

(अरुण कुमार)
सी.पी.आई.ओ./उपायुक्त (सीमाशुल्क)
कांडलाविशेषआर्थिकक्षेत्र,
गांधीधाम

प्रतिलिपि:-

1. श्री के. वी. अजीत, उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली- 110107 को उनके पत्रांक सं. आर -18(1)/2019- आर टी आई/726-729 दिनांक 09.08.2019 के आलोक में प्रेषित।
2. श्री सेन्दिल नादन एस, उप सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (एस.ई.जेड. अनुभाग), नई दिल्ली- 110107 को उनके पत्रांक सं. J-12/2/2019- एस.ई.जेड. दिनांक 21.08.2019 के आलोक में प्रेषित।